



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या

2/2020-21

दिनांक 24.11.2020

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 21-12-2020 आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 24.12-2020

आवश्यक: (1) “अपूर्ण आनलाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।”
(2) “किसी भी स्तर पर परीक्षणोंपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।”

विशेष सूचना :- (क) “बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।” (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएस द्वारा दिये जायेंगे।

आनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website http://uppsc.up.nic.in](http://uppsc.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु “आनलाइन आवेदन पद्धति” (**ON-LINE APPLICATION SYSTEM**) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन ही करें।

“आनलाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1-आयोग की <http://uppsc.up.nic.in> पर “**ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS**” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर **ON-LINE ADVERTISEMENT** स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें “आनलाइन आवेदन पद्धति” लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आनलाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु “APPLY” पर Click करें।

“आनलाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :—

प्रथम चरण – APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो ‘Click here to modify’ पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात ‘Submit Application’ पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात ‘Print Registration Slip’ प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण— प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर ‘Click here to proceed for payment’ कैप्सन के साथ ‘Fees to be deposited [in INR]’ प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर विलक्षण के पश्चात स्टेट बैंक ‘MOPS (Multi option payment system)’ का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODS. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट ‘Print Payment Receipt’ पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण— द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ‘Proceed for final submission of application form (Part-2)’ पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा

फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवश्यक (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद “PREVIEW” को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही—सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “Submit” बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही—सही निर्देशनुसार आनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक “Submit” बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा “Submit” बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “Submit” बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- आवेदन शुल्क : आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :—

1-अनारक्षित (सामान्य)	— परीक्षा शुल्क ₹ 80/- — आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- — योग कुल ₹ 105/- —
2-अन्य पिछड़ा वर्ग	— परीक्षा शुल्क ₹ 80/- — आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- — योग कुल ₹ 105/- —
3-अनुसूचित जाति	— परीक्षा शुल्क ₹ 40/- — आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- — योग कुल ₹ 65/- —
4-अनुसूचित जनजाति	— परीक्षा शुल्क ₹ 40/- — आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- — योग कुल ₹ 65/- —
5-विकलांग श्रेणी	— परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- — योग कुल ₹ 25/- —
6-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	— क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल के आंतरित
7-भूतपूर्व सैनिक	— परीक्षा शुल्क ₹ 40/- — आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- — योग कुल ₹ 65/- —
8-महिला	— क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
3-अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डाल्मक कार्यवाही की जा सकती है।	
4- सबमिट (Submit)	किये गये आवेदन में संशोधनः— आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID , श्रेणी, उपश्रेणी एवं सामान्य निवास (Domicile) को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :—

“अभ्यर्थी को Candidate Segment में ‘Online application process’ के अन्तर्गत ‘Modify Submitted Application’ को विलक्षण (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात “Candidate Personal Details” Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होनी तत्पश्चात Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button विलक्षण करना होगा, जिसके पश्चात ‘Authentication through’ में तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे, यथा Registered Mobile, Registered e-mail ID तथा OTP (One Time Password) उक्त तीनों विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा जिस विकल्प हेतु चयन किया जाता है, उससे सम्बन्धित सूचना अंकित करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।”

उत्तर प्रदेश (पुलिस) विभाग (उत्तर प्रदेश रेडियो सेवा)

02 (दो) पद, सहायक रेडियो अधिकारी, आरक्षण-02 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित/अस्थायी, वेतनमान-पै बैंड रु 15600-39100 (ग्रेड पै रु 50-5400) पै मैट्रिक्स लेवल-10 रु 56100-177500), विभाग सं

भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गयी हो, उन्हें नेट/स्लेट/सेट से छूट प्रदान की जायेगी: बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अध्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबन्धों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अध्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन नेट/स्लेट/सेट से छूट प्रदान की जायेगी:- (क) अध्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो; (ख) पीएचडी शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो; (ग) पीएचडी के लिए अध्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो; (घ) अध्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो; (ङ.) अध्यर्थी ने यूजीसी/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी ही किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो प्रपत्रों को प्रस्तुत किया हो; इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसंचित अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाया। 3- उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत् होंगे:- शासनादेश संख्या-1129 / सत्र-1-2013-15(14) /, 92 टी0एसी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 के अनुसार सुसंगत स्नातक उपाधि या उपाधियों में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक । 4- उपर्युक्त क्रमांक-2 पर अंकित असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इतिहास) पद हेतु मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अध्यर्थी ही अहं होंगे। उपर्युक्त चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। साक्षात्कार में अध्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा के कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आदि के सम्बन्ध में अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

03 (तीन) पद, सहायक वास्तुविद, अनारक्षित श्रेणी के लिए-01 पद, आरक्षित- (1) 01 पद आर्थिक रूप के कमज़ोर वर्गों हेतु आरक्षित है, (2) उम्प्रो की अनुसूचित जाति के लिए- 01 पद, (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- समूह “ख” राजपत्रित/स्थायी, क्षैतिज आरक्षण- संगत शासनादेशानुसार देय होगा। वेतनमान- 15600-39100, ग्रेड पे रु0-5400 (पुनरीक्षित 7वां वेतनमान में मैट्रिक्स लेवल-7), विभाग संख्या- सेवा-6/02, अनिवार्य अहंता- (1) अध्यर्थी संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वास्तुकला में स्नातक उपाधि या वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा-14 की अनुसूची में उल्लिखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था की समकक्ष व्यावसायिक अहंता धारित करता हो। अधिमानी अहंता- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अध्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसमें- (1) (प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र धारित किया हो। आयुसीमा- 21 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणी के अध्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य है।)

चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र० (एलोपैथी)

61 (इक्सठ) पद सहायक आचार्य (विभिन्न विशिष्टता), (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, आरक्षण- तालिकानुसार, वेतनमान- एकेडमिक लेवल-11, प्रारम्भिक वेतन रु. 68900/-, आयुसीमा- 26 से 40 वर्ष, विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत है:-

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम सहायक आचार्य	नियुक्ति/अध्यर्थन निरस्त किये जाने के उपरान्त अधियाचित पदों की संख्या	अन्न- रक्षि- त वर्ग	अ- 0 पि 0 जाति	अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (झ० डब्ल्य० एस०)	विभाग संख्या	
1	एनेस्थीसियोलॉजी	02	01	-	01	-	S-8/41
2	स्किन एण्ड बी0डी०	02	02	-	-	-	S-8/42
3	आपथलमोलॉजी	01	-	-	01	-	S-8/43
4	झ०एन०टी०	01	-	01	-	-	S-8/44
5	इण्डोक्रिनोलॉजी	03	01	01	01	-	S-8/45
6	यूरोलॉजी	05	02	02	01	-	S-8/46
7	न्यूरोलॉजी	09	04	04	01	-	S-8/47
8	कार्डियोवस्कुलर थोरैसिक सर्जरी	05	02	01	02	-	S-8/48
9	डेन्टिस्ट्री	01	-	-	01	-	S-8/49
10	न्यूरो सर्जरी	03	02	-	01	-	S-8/50
11	स्टेटिशियन कम सहा० आचार्य	01	01	-	-	-	S-8/51
12	साइकियाट्री	02	01	01	-	-	S-8/52
13	नेफ्रोलॉजी	06	01	03	-	02	S-8/53
14	कार्डियोलॉजी	04	02	-	02	-	S-8/54
15	एपीडोमोलॉजिस्ट कम सहा० आचार्य	01	-	-	01	-	S-8/55
16	पी०एम०आर०	02	01	-	01	-	S-8/56
17	पीडियाट्रिक्स सर्जरी	03	01	01	01	-	S-8/57
18	सर्जिकल ऑकोलॉजी	03	01	01	01	-	S-8/58
19	प्लास्टिक सर्जरी	07	03	01	02	01	S-8/59
	योग	61	25	16	17	03	

अनिवार्य अहंतायें :- क्र.सं.- 01 : सहायक आचार्य (एनेस्थीसियोलॉजी) (क) M.D. (Anesthesiology)/M.S.(Anesthesiology) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अहंतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का

अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-2 : सहायक आचार्य (स्किन एवं बी०डी०) (क) एम.डी. (डर्मोटोलॉजी एण्ड वेनेरोलॉजी)/एम.डी. (डर्मोटोलॉजी, वेनेरोलॉजी तथा लेप्रोसी)/एम.डी. (डर्मोटोलॉजी इन्कल्नुडिंग वेनेरोलॉजी)/एम.डी. मेडिसिन विद डी.वी.डी. एण्ड डी.डी. अथवा एम.सी.आई द्वारा मान्य समकक्ष अहंतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-3 : सहायक आचार्य (आपथलमोलॉजी) (क) एम०एस०(आपथलमोलॉजी)/एम०डी० (आपथलमोलॉजी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अहंतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-4 : सहायक आचार्य झ०एन०टी० (आटो-राइनो-लाइरिंगोलॉजी) (क) एम०एस० (आटो-राइनो-लाइरिंगोलॉजी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अहंतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-5 : सहायक आचार्य (झ०एक्सोक्रिनोलॉजी) झ०एन०एम० (झ०एक्सोक्रायनोलॉजी) / एम०डी० (मेडिसिन) अथवा एम०डी० (पीडियाट्रिक्स) विद डी.वी.डी. एण्ड डी.डी. अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अहंतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-6 : सहायक आचार्य (यूरोलॉजी) एम०सी०एच० (यूरोलॉजी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अहंतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-7 : सहायक आचार्य (झ०एम०) (झ०एम०) (न्यूरोलॉजी) अथवा एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अहंतायें। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा मह

प्रशासनिक सुधार निदेशालय, ३०प्र०

०४ (चार) पद, शोध अधिकारी, (सामान्य चयन), आरक्षण- ३०प्र० के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु एक-एक (०१/०१) पद आरक्षित, पद का स्वरूप- स्थायी/राजपत्रित/पेंशन शासकीय नीति के अनुसार, परिवीक्षा की अवधि- दो वर्ष, वेतनमान- १५६००-३९१००, ग्रेड वेतन रु०-५४०० है, विभाग संख्या- सेवा-१०/०३, अर्हताये- (अ) अनिवार्य- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, गणित, सांख्यिकी या राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की अर्हता। अधिमानी- रु० १४००-२६०० के वेतनमान में शोध सहायक के पद पर या समय-समय पर यथा पुनरीक्षित इसके तत्समान वेतनमान में या उच्च वेतन में कम से कम पांच वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। (ब) अधिमानी अर्हताएँ- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जायेगा जिसने- (१) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। या (२) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयुसीमा- २१ से ४० वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी)।

३०प्र० चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु प्रवक्ताओं के निम्नांकित पद (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित तथा स्थायी/अस्थायी, वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-१०, (रु० ५६,१००-१७७५००), सेवा संवर्ग- आयु विभाग (होम्योपैथी)।

क्र. सं.	प्रवक्ता का विषय	क्रुल रिक्त तथा	अना अनु पि० वा० जा० अनु जा० इ० डब्ल्यू० ई०	क्षेत्रिज आरक्षण डी० एफ० एफ० दिव्य यांग ग	भूमि० पूर्ण सैला० निक०	विभाग संख्या
१	होम्योपैथिक फार्मेसी	१० ०५ ०२ ०२ -- ०१	-- -- -- ०२	S-11/01		
२	आर्गनान आफ मेडिसिन	१८ १० ०४ ०३ -- ०१	-- -- -- ०३	S-11/02		
३	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका	२० ०९ ०५ ०४ -- ०२	-- -- -- ०४	S-11/03		
४	रिपर्टरी	१२ ०६ ०३ ०२ -- ०१	-- -- -- ०२	S-11/04		
५	एनॉटमी	०४ ०१ -- ०२ -- ०१	-- -- -- ०२	S-11/05		
६	फिजियोलॉजी	०८ ०४ ०२ ०१ -- ०१	-- -- -- ०१	S-11/06		
७	फॉरेन्सिक मेडिसिन	०७ ०४ ०१ ०१ -- ०१	-- -- -- ०१	S-11/07		
८	प्रैक्टिस आफ मेडिसिन	१४ ०६ ०४ ०३ -- ०१	-- -- -- ०२	S-11/08		
९	पैथालॉजी	०९ ०५ ०२ ०१ -- ०१	-- -- -- ०१	S-11/09		
१०	सर्जरी	१० ०५ ०२ ०२ -- ०१	-- -- -- ०२	S-11/10		
११	आब्स एण्ड गायना कोलॉजी	१० ०५ ०२ ०२ -- ०१	-- -- -- ०२	S-11/11		
१२	कम्प्युनिटी मेडिसिन	०८ ०३ ०२ ०२ -- ०१	-- -- -- ०१	S-11/12		
	योग	१३० ६३ २९ २५ -- १३	-- -- -- --			

शैक्षिक अर्हताएँ:- (१) आर्गनान आफ मेडिसिन, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक फार्मेसी, रिपर्टरी विषयों में (क) अनिवार्य अर्हता : होम्योपैथी में, अधिमानतः सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। उक्त अर्हता वही होगी, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७३ की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो। (ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो केन्द्रीय परिषद/ केन्द्र सरकार द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी होम्योपैथिक अस्पताल में आर०एम०३०० और/अथवा हाउस फिजीशियन के रूप में कार्य का अनुभव रखते हों। (2) एनॉटमी, फिजियोलॉजी, पैथालॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसिन, प्रैक्टिस आफ मेडिसिन, सर्जरी, आब्स एण्ड गायना कोलॉजी, कम्प्युनिटी मेडिसिन विषयों में। (क) अनिवार्य अर्हता : होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता। उक्त अर्हता वही होगी जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो। (ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो आयुर्विज्ञान परिषद/ केन्द्र सरकार द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध किसी होम्योपैथिक अस्पताल में आर०एम०३०० और/अथवा हाउस फिजीशियन के रूप में कार्य का अनुभव रखते हों। अथवा (क) अनिवार्य अर्हता : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि। (ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो आयुर्विज्ञान परिषद/ केन्द्र सरकार द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध किसी होम्योपैथिक अस्पताल में आर०एम०३०० और / अथवा हाउस फिजीशियन के रूप में कार्य का अनुभव रखते हों। अयु :- न्यूनतम २५ वर्ष, उच्चतम ४० वर्ष (आरक्षित वर्ग आयु में छूट नियमानुसार) इसके अतिरिक्त राजपत्राल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता :-** भारतीय। **नोट:-** (१) ३०प्र० सरकार द्वारा, वर्तमान में लागू नई पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक / न्यूनतम अंक / प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

सामान्य अनुदेश

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : २१-१२-२०२०

आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि : २४-१२-२०२०

- अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।
- अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरकारी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
- हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।
- आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) ०१ जुलाई, २०२० है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, ३०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) तथा ३०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल ३०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। इसी प्रकार ३०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणपत्र के ३०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति शासनादेश संख्या-१६४८/७९-२०१५, दिनांक १९ जून, २०१५ के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उसी प्रकार ३०प्र० राज्य कर्मचारियों की भाँति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या- १५०८/१५-०८-२०१५-३०५७, दिनांक १६ सितम्बर, २०१५ के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों को सम्पूर्ण सैन्य सेवावधि के अतिरिक्त ३ वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में १५ वर्ष की छूट अनुमन्य होती है। जिनके लिये शासनादेश दिनांक १३.०१.२०११ के अनुसार पद विचारित है।
- आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।
- पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दान परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये

आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

17. पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

18. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा website पर "Contact Us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।

19. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

20. नोट:- शासन के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

परिशिष्ट-1: फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

Personnel Details

This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button option you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in> in CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

-NOTIFICATIONS / ADVTS.

All Notification / Advertisements

-ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration

2. Fee Deposition /Reconciliation

3. Submit Application Form

-APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode

View Application Status

List of Applications Having photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

- EXAMINATION SEGMENT

Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

- DOWNLOAD SEGMENT

Download Document of Verification for this Examination

Download Admit Card

Download Interview Letter : After Examination

Download Interview Letter : Direct Recruitment

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

Latest Tenders

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

Online Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.


Appendix-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

- Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
- Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in * .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
- If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, colours etc., during the process of scanning.
- The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
- The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-



परिशिष्ट

उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

सुपुत्र/ सुपुत्री श्री निवासी

ग्राम तहसील नगर जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की

जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति)

आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) / संविधान

(अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी

तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम

तहसील नगर जिला

में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर.....

दिनांक पूरा नाम.....

मुहर पद नाम.....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

सुपुत्र/ सुपुत्री निवासी तहसील

नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की

पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की

अनुसूची-दो जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो

उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/अथवा उनका

परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील

नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर.....

दिनांक पूरा नाम.....

मुहर पद नाम.....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

ANNEXURE

Certificate No.

Date

DISABILITY CERTIFICATE

Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum.....

son/wife/daughter of Shri

....age..... Sex

identification mark(c) is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms.

(ii) BA-Both arms affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness or grip

(iii)BLA-Both legs and both arms affected

(iv)OL-One leg affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) OA-One arm affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

<p>(vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance</p> <p>B. Blindness or Low Vision:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) B-Blind (ii) PB-Partially Blind <p>C. Hearing impairment:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) D-Deaf (ii) PD-Partially Deaf <p>(Delete the category whichever is not applicable)</p> <p>2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of years months.*</p> <p>3. Percentage of disability in his/her case is percent.</p> <p>4. Sh./Smt/Kum meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:</p> <ul style="list-style-type: none"> (I) F-can perform work by manipulating with fingers Yes/No (ii) PP-can perform work by pulling & pushing Yes/No (iii) L-can perform work by lifting Yes/No (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching Yes/No (v) B-can perform work by bending Yes/No (vi) S-can perform work by sitting Yes/No (vii) ST-can perform work by standing Yes/No (viii) W-can perform work by walking Yes/No (ix) SE-can perform work by seeing Yes/No (x) H-can perform work by hearing/speaking Yes/No (xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No <p>(Dr.) (Dr.) (Dr.)</p> <p>Member Member Chairperson Medical Board Medical Board Medical Board Countersigned by the Medical Superintendent/ CMO/Head of Hospital (with seal)</p> <p>* Strike out which is not applicable</p> <p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र। प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती निवासी ग्राम- नगर- जिला- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।</p>	<p>स्थान: हस्ताक्षर दिनांक: पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी (सील) कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान: हस्ताक्षर दिनांक: नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टरे ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टरे ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान: हस्ताक्षर दिनांक: नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/ या अतिरिक्त/ संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्टरे ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p>
---	--